पर्चा डिक्री

यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं0:– 441 / 2025

ुभाष पुत्र हरीराम | जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा
जयमलराम पुत्र हरीराम | तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

परमेश्वरी पत्नी हरीराम | जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा
इन्द्राज पुत्र हरीराम | तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक 31/12/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– चक नं0 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 57 / 62 हरीराम के नाम की आराजी के वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं0 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 57 / 62 में से हरीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद जमाबंदी में मै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with OKEN Scanner